आरक्षण की आग में सुलगता देश

किसी समाज अथवा जाति को अगर अकर्मण्य अथवा निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना कर्म किये सुविधा प्रदान करते जाइये। निश्चित ही एक समय के बाद अकर्मण्यता एवं निकम्मापन उस जाति अथवा समाज में सर्वत्र दिखाई देगा। भारत की विभाजनकारी राजनीति ने आजादी के बाद इस देश और इसके समाज को स्वावलम्बी बनाने के बजाए अधिकाधिक संकीर्ण एवं अकर्मण्य अवश्य बनाया है। जन्मना जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम इस देश को कितना नुकसान पहुँचायेगा कहना कठिन है। लेकिन इसके कारण जो सामाजिक असमानता फैली थी, उस सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए स्वतन्त्र भारत ने जो तैयारी और तरकीबें निकाली उसने यह खाई और बढ़ाई है। भारत की जातिगत सामाजिक व्यवस्था ने हिन्दू समाज में अपने ही बन्धु-बान्धवों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उससे उबरने के लिए समाज में समतामूलक व्यवस्था लागू हो, सामाजिक रूप से अस्पृश्य और अछूत कहा जाने वाला यहाँ का बहुत बड़ा तबका अपने को समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस कर सके और गर्व से इस समाज और राष्ट्र का एक अभिन्न अंग अपने आप को मान सके, इसके लिए संविधान में वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। लेकि 10न भारत के अन्दर सामाजिक रूप से अछूत कहे जाने वाले जिस तबके को सामाजिक और आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी, उसकी ईमानदारी से कभी समीक्षा नहीं हुई। ईमानदारी से समीक्षा हुई होती तो आरक्षण का यह भयावह दृश्य सामने नहीं आता। जब आरक्षण के साथ राजनीति ही जुड़ गई और जब भी किसी अच्छे उद्देश्य के साथ राजनीति जुड़ेगी तो उसका बंटाधार होना ही है। आरक्षण का लाभ प्रारम्भ में जिसने प्राप्त किया, सामाजिक और आर्थिक रूप से उसके समुन्नत होने के बाद भी उसे ही यह लाभ प्राप्त होता गया। क्रीमीलेयर की बात यहीं से शुरू भी होती है। आरक्षण की जायजनाजायज माँगों की समीक्षा के -

बजाए इसका दायरा बढ़ता गया और बढ़ाया भी जा रहा है। सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर तबके को आरक्षण अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का विरोध किसी को नहीं है, लेकिन जब उन सुविधाओं को वह व्यक्ति अथवा समुदाय ही निगल जाता है जो पहले ही उस सुविधा से लाभान्वित हो चुका है अथवा पहले से ही उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है तो विरोध स्वाभाविक भी है। यही कारण है कि आजादी के बाद आरक्षण प्राप्त होने वाले समुदाय के अन्दर भी एक नया समूह बन गया है जो पहले से ही आरक्षण का लाभ पा रहा था वह ही आज भी लाभान्वित हो रहा है; जो वंचित था वह आज भी वंचित है। देखादेखी करके आज आरक्षण के दायरे में तमाम जातियों - ने अपने को लाने के लिए हिंसा का मार्ग भी अपनाना प्रारम्भ कर दिया है। राजस्थान का गुर्जर आन्दोलन इसी कड़ी का हिस्सा है। सामान्य जातियों में पिछड़ी जाति में शामिल होने की होड़, पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति में शामिल होने की होड़, भारत की मातृशक्ति के अन्दर भी आरक्षण पाने की प्रबल लालसा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के बजाए क्या बना रही है कहना कठिन है। लेकिन देश की विभाजनकारी राजनीति ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस दायरे को बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया। आज इस खाई को और भी चौड़ा करके जहाँ समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दिया है वहीं इस आरक्षण के दायरे ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। जब मजहबी आरक्षण की माँग ने न केवल जोर पकड़ना शुरू किया है अपितु उसे तमाम राज्य सरकारें लागू करने के लिए उतारू दिखाई पड़ रही हैं, केन्द्र सरकार ने सच्चर कमेटी गठित करके इस कवायद को और तेज किया है। आरक्षण का यह दायरा कितना नुकसान भारतीय प्रतिभाओं का करेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह सत्य है कि अगर इस राष्ट्र को स्वावलम्बी और शक्तिशाली बनाना है तो उसका उपचार आरक्षण नहीं अपितु राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रतिभा के अनुरूप सम्मान देना ही हो सकता है।